बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति।।

दिनांक–26.03.2020
समय–06:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के बढ़ते संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाईयों/उपायों के क्रम में आज निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

1. माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के द्वारा निदेश दिया गया कि राज्य के अन्दर राजधानी पटना एवं जिला मुख्यालयों के ऐसे व्यक्ति/मजदूर जिन्हें लॉक–डाउन के कारण खाने अथवा रहने की समस्या आ रही है, उनके लिए सरकारी विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से आपदा राहत केन्द्र/सामुदायिक रसोई का संचालन किया जाय। इसके लिए मुख्य मंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस कार्य हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से तत्काल 100 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया गया है।
2. माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के बाहर फँसे हुए बिहारी मजदूरों के आवासन, भोजन आदि से संबंधित आ रही समस्याओं के समाधान हेतु स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली, जिन्हें इसके लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है, संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित समन्वय स्थापित कर ऐसी समस्याओं का निराकरण करवायेंगे। इसमें होने वाले व्यय का वहन भी मुख्य मंत्री राहत कोष से किया जायेगा।
3. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आज आयोजित आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में निर्णय लिया गया कि–
   I. वर्त्तमान में राज्य में COVID-19 वायरस की जाँच के लिए टेस्ट कीट (Test Kit) की कमी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निजी क्षेत्र **(Private Sector)** से आवश्यकतानुसार टेस्ट कीट (Test Kit) का क्रय किया जायेगा।
   II. जमाखोरी एवं कालाबजारी करने वालों के विरूद्ध बड़े पैमाने पर छापेमारी करने का निर्णय लिया गया ताकि लॉक–डाउन की स्थिति में राज्य में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी न हो।
   III. राज्य में लागू लॉक–डाउन की अवधि में किराना/फल/सब्जी की दुकानों को सुबह 06:00 बजे से सध्या 06:00 बजे तक ही खुला रखने का निर्णय लिया गया। दवा एवं चिकित्सा से संबंधित अन्य दुकानों पर किसी प्रकार का रोक नहीं रहेगा।
   IV. COVID-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के सहयोग हेतु **NDRF** की दो टीम मुंगेर जिला में एवं 04 टीम पटना जिला में सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों/कीट के साथ प्रतिनियुक्त किया जाय।

NDRF की 02 टीम मुंगेर जिला के लिए एवं 04 टीम पटना जिला में प्रतिनियुक्त की गयी है।

4. COVID-19 Virus के रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में सरकारी आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अबतक दण्ड प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत 74 मामले (FIR) दर्ज किये गये है जबकि The Epidemic Act 1987 की धारा–3/IPC की धारा 188 के तहत 43 मामले एवं Disaster Management Act 2005 के तहत 2 मामले दर्ज किये गये है। मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179 के तहत अबतक 2339 वाहनों पर कार्रवाई की गयी है। इसके अन्तर्गत अबतक 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है, कुल 776 वाहन जब्त किये गये है तथा कुल ₹ 20,47,146/- जुर्माना के रूप में वसूल किये गये हैं।